



सत्यमेव जयते

OFFICE OF CANTONMENT BOARD, AMRITSAR  
कार्यालय छावनी परिषद, अमृतसर  
MINISTRY OF DEFENCE, GOVT OF INDIA  
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार  
HARKIRAT ROAD, AMRITSAR CANTT  
हरकिरत रोड, अमृतसर छावनी



सं. सी.बी.ए.-2/Tax/Notice/2020-21/1975

14 अक्टूबर, 2020

**सार्वजनिक सूचना**  
**(अनुच्छेद 76 के तहत)**

अमृतसर छावनी के सभी निवासियों को यह सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद कार्यालय, अमृतसर छावनी द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 76 के तहत संपत्ति कर (Property Tax) का त्रैवार्षिक आंकलन (Triennial Assessment) शुरू किया जा रहा है जो हर तीन वर्ष बाद किया जाना आवश्यक है और जो 01 अप्रैल 2020 से विचाराधीन है और 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से सूचना भी प्रदान की जा रही है।

अगर कोई नागरिक आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो वह छावनी परिषद के कार्यालय में लिखित में डाक द्वारा 18 नवम्बर 2020 तक भेज सकता है या छावनी परिषद कार्यालय, अमृतसर छावनी की ईमेल [cbamritsar@dggest.org](mailto:cbamritsar@dggest.org) पर भेज सकता है।

18 नवम्बर, 2020 के बाद भेजी गई आपत्ति मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा मान्य नहीं होंगी।

चौकिल  
14/10/2020

मुख्य अधिशासी अधिकारी,  
छावनी परिषद कार्यालय,  
अमृतसर छावनी।